भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं॰ 1653

दिनांक 28.11.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन

1653. श्रीमती एस॰ जोतिमणिः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान ग्रामीण घरों में लगाए गए सक्रिय रहे जल कनेक्शनों (एफएचटीसी) का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में एफएचटीसी सुविधा प्रदान करने में सफल हो पाएगी; और

(घ) इस हेतु तमिलनाडु को आवंटित निधि का जिला–वार और राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत, वर्ष 2019-20 के लिए 10,000.66 करोड़ रु. का बजटीय आबंटन किया गया है तथा पात्र राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पहली किस्त जारी की गई है। इसके अलावा, 5 वर्षों के दौरान जेजेएम का योजनागत परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रु. है जिसमें से, केन्द्र सरकार की भागीदारी लगभग 2.08 लाख करोड़ रु. है। जेजेएम की शुरूआत के बाद, विभिन्न राज्यों के ग्रामीण जल आपूर्ति प्रभारी मंत्रियों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसके बाद जेजेएम के विभिन्न पहलुओं तथा कार्यान्वयन के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए 5 क्षेत्रीय कार्यशालाएँ आयोजित की गई थी। इसके अतिरिक्त, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इन कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा भी की जाती है।

(ख) यथासूचित, देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) (अब यह जेजेएम में पुनर्गठित और सन्निविष्ट हो गया है) के अंतर्गत गत पांच वर्षों के दौरान पाइपशुदा जल आपूर्ति के कनेक्शन वाले घरों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	उपलब्ध कराई गई घरेलू कनेक्शन की संख्या
2014-15	17,10,138
2015-16	12,94,045
2016-17	11,92,606
2017-18	6.32,614
2018-19	9,65,587

(ग) जल जीवन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने योग्य जल उपलब्ध कराना है।

(घ) वर्ष 2019-20 के दौरान तमिलनाडु सहित, जेजेएम के अंतर्गत आबंटित निधियों का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक पर है।

दिनांक 28.11.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1653 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2019-20 में जेजेएम के अंतर्गत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार आबंटित निधियां

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	आबंटन (करोड़ रु. में)*
1.	अंडमान और निकोबार	1.45
2.	आंध्र प्रदेश	303.47
3.	अरुणाचल प्रदेश	110.47
4.	असम	679.26
5.	बिहार	741.66
6.	छत्तीसगढ़	169.42
7.	गोवा	6.16
8.	गुजरात	317.85
9.	हरियाणा	122.12
10.	हिमाचल प्रदेश	121.07
11.	जम्मू एवं कश्मीर	262.24
12.	झारखंड	218.00
13.	लद्दाख	135.71
14.	कर्नाटक	444.69
15.	केरल	202.58
16.	मध्य प्रदेश	465.49
17.	महाराष्ट्र	690.55
18.	मणिपुर	56.41
19.	मेघालय	71.69
20.	मिजोरम	33.22
21.	नागालैंड	47.07
22.	ओडिशा	297.03
23.	पुडुचेरी	2.03
24.	पंजाब	185.24
25.	राजस्थान	856.47
26.	सिक्किम	12.85
27.	तमिलनाडु	304.82
28.	तेलंगाना	211.04
29.	त्रिपुरा	89.71
30.	उत्तरप्रदेश	1,390.37
31.	उत्तराखंड	138.87
32.	पश्चिम बंगाल	910.82

* वर्ष 2019-20 के दौरान राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (एनडब्ल्यूक्यूएसएम) के मांग आधारित परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 16 चयनित राज्यों हेतु अलग से 300 करोड़ रुपए की राशि चिह्नित की गई है।